UPAG010063072026

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट), आगरा।
उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0–UP06100
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2666/2026

हरिओम उर्फ करिमा ठाकुर पुत्र मिश्रीलाल, निवासी– ग्राम फरेरा, थाना बाह, जिला आगरा, उम्र करीब 28 वर्ष। .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य
2–वादिया मुकदमा/पीड़िता। .....विपक्षीगण

सेशन केस नं0 173/2025
अपराध सं0–214/2024
धारा 333, 74, 351(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)ध, 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना– बाह, जिला आगरा

दिनांक 06.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **हरिओम उर्फ करिमा ठाकुर** की ओर से सेशन केस नं0 173/2025, अपराध सं0–214/2024, धारा 333, 74, 351(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)ध, 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना– बाह, जिला आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार गिरवर सिंह के शपथ पत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादिया श्रीमती शारदा देवी द्वारा इस आशय की तहरीर थाना मलपुरा जिला आगरा पर दी गई कि हरिओम ठाकुर चार–पांच दिन से प्रार्थिया को परेशान कर रहा था, जब भी वह शौच के लिए बाहर जाती, तब गलत इशारे करता था और कई बार जातिसूचक बातें भी कही। फिर भी प्रार्थिया अपनी इज्जत की खातिर घरवालों का यह बात नहीं बतायी। उसके घ ार जाकर भी बताया, तब भी वह नहीं माना तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। दिनांक 07.12.2024 को, समय 05.30 बजे शाम को उसने सभी हदें पार कर दी तथा घ ार में घुसकर बदनीयती से उसने मुझे दबोच लिया। उसके बाद मैंने चीख–पुकार की तो वहां मेरी चाची रेखा देवी मुझे बचाने आयी तो वहां से भाग गया।

4– वादिया मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना बाह, आगरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अ0सं0 214/2024 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 333, 74, 351(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)ध, 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में मात्र तंग व परेशान करने की नीयत से झूॅठा फंसाया गया है, जबकि अभियुक्त का उपरोक्त घटना से दूर–दूर तक कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अभियुक्त की राजनैतिक छवि खराब करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद कर दिया है। वादिया/पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में सभी चोटें साधारण प्रकृति की दर्शायी गयी है। अभियुक्त एक सम्मानित व्यक्ति है तथा अभियुक्त के छोटे–छोटे बच्चे है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है तथा अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6– वादिया मुकदमा न्यायालय को नोटिस प्राप्त कराया जा चुका है। वादिया मुकदमा द्वारा आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला/वादिया को बदनीयती से दबोचा गया है जिससे पीड़िता के सीने पर खुरसट के निशान जघन्य अपराध की और इशारा करते है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए कि वादिया अनुसूचित जाति की सदस्या है, वादिया मुकदमा के घर में बिना उसकी अनुमति के गृहअतिचार कर उसके साथ छेडछाड़ की गयी है तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी एवं सार्वजनिक स्थान पर वादिया को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

8– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिया के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली एवं अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

9– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादिया मुकदमा की बिना अनुमति के उसके घर में गृहअतिचार कर वादिया/पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर, जान से मारने की धमकी देने तथा यह जानते

हुए कि वादिया मुकदमा अनुसूचित जाति की सदस्या है, को सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का अभियोग है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 07.12.2024 को समय 17.30 बजे की दर्शायी गयी है तथा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.12.2024 को समय 10.41 बजे पंजीकृत गयी है। वादिया/चुटैल की आघात आख्याओं के अवलोकन से विदित होता है कि उसके साधारण प्रकृति की चोटें दर्शायी गयी हैं। प्रस्तुत मामले में बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 41(1बी) दं0प्र0सं0 का नोटिस तामील कराते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। इस प्रकार विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में साक्ष्य एकत्रित किया जाना शेष नही है तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग प्रदान किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है तथा अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10– अतएव न्यायालय के विचार में प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की कतिपय शर्तो पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **हरिओम उर्फ करिमा ठाकुर** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अंकन 50,000/–रूपये की व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत प्रदान की जाती है किः–

1– यह कि अभियुक्त वादिया व साक्षियों पर भय, प्रलोभन व दबाव नही डालेगा।
2– यह कि अभियुक्त साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नही करेगा।
3– यह कि अभियुक्त द्वारा विचारण में पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
4– यह कि अभियुक्त इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा।

(**शिव कुमार-II**)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.06.09 13:35:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court